

भ्यायालय नायब तहसीलदार भियाड, जिला बाइमेर

राजस्व प्रकरण मामला संख्या 130/2025 अर्न्तगत धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956
सायल बनाम गैर सायल

राजस्थान राज्य
जरिये पटवारी भियाड

रूपचंद पुत्र ताजाराम
जाति मेघवाल नियासी रूपासरीया।

"निर्णय"

दिनांक:-27.10.2025

पत्रायली आज बमुकाम भियाड में पेश हुई और गैर सायल अनुपस्थित। पत्रायली का हमने अवलोकन किया सक्षिप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का भियाड ने धारा आर.एल. आर. एक्ट 91 के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि गैसा ने मौजा रूपासरीया के खसरा नं. 1154/938 रकबा 82.7581 हैक्टेयर किस्म गै.मु.मगरा में से 0.3237 हैक्टेयर राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कब्जा/काशत किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार गैर सायल के विरुद्ध धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956 के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को जरिये नोटिस से सुनवाई हेतु तालब किया गया। नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ/और गैर सायल अनुपस्थित रहा।

अतः गैर सायल को आर.एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 91 का उल्लंघन करने पर गैर सायल को अतिक्रमी घोषित किया जाकर उक्त विवादग्रस्त भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं। साथ ही वार्षिक लगान रुपये 0.12 पैसा का गुणा 50 जुर्माना राशि रुपये 12/- पूर्णांक में अक्षरों बरह रुपये/- मात्र से आरोपित किया जाता है। जो गैर सायल से बरूल हो।

पटवारी हल्का और भू0अ0 निरीक्षक को आदेशित किया जाता है कि वह गैर सायल को भौतिक रूप से बेदखल कर भूमि का कब्जा बहक सरकार प्राप्त कर पूर्ण पालना एक माह में पेश करे। भू0 अभिलेख निरीक्षक को फसल नीलामी हेतु आदेशित किया जाता है।

टी.आर.ए. पटवारी हल्का, निरीक्षक भूअ. आदेश से सूचित हो तथा पत्रायली टी.आर.ए. के पास मांग कायमी हेतु भेजी जावें।

निर्णय दिनांक 27.10.2025 को सरेआम सुनाया गया।


नायब तहसीलदार भियाड
नायब तहसीलदार
भियाड तह.शिव जिला -बाइमेर

